

फा.सं.7(5)/2014-ले.क्र.

भारत सरकार
संसदीय कार्य मंत्रालय

92, संसद भवन,
नई दिल्ली।

दिनांक: 21 फरवरी, 2014

निविदा सूचना

विषय: हैंड बैग/लैपटॉप बैग की आपूर्ति के लिए दर-सूची (कोटेशन) आमंत्रित करने के संबंध में।

अप्रैल और मई, 2014 माह के दौरान आयोजित होने वाली विभिन्न सरकारी बैठकों/कार्यक्रमों के लिए 650 (छह सौ पचास) हैंडबैग्स/लैपटॉप बैग्स की आपूर्ति के लिए प्रतिष्ठित निर्माताओं/प्राधिकृत व्यापारियों/पुनर्विक्रेताओं/प्रदाताओं से मूल्य दर-सूची आमंत्रित की जाती हैं।

इच्छुक बोलीदाता निम्नलिखित शर्तों पर अपनी बोलियां प्रस्तुत कर सकते हैं:-

1. प्रत्येक बोलीदाता को अपनी बोली द्विबोली प्रणाली अर्थात् तकनीकी बोली और वित्तीय बोली के माध्यम से प्रस्तुत करनी अपेक्षित है।
2. बोलीदाता के पास वैध पैन नंबर और टिन नंबर होना चाहिए तथा उनकी सत्यापित प्रतियां अवश्य भेजनी चाहिए।
3. प्रत्येक बोलीदाता के लिए आपूर्ति किए जाने वाले बैग का सैंपल मोहरबंद लिफाफे में भेजना अपेक्षित है। असफल बोलीदाताओं के सैंपल बैग संविदा पर अंतिम निर्णय ले लेने के पश्चात् लौटा दिए जाएंगे। सफल बोलीदाता का सैंपल बैग अपेक्षित मद की आपूर्ति के बाद लौटा दिया जाएगा।
4. प्रत्येक बोलीदाता के लिए "पीएओ, मंत्रिमंडल कार्य, नई दिल्ली" के नाम रु.5,000/- (पांच हजार रुपये केवल) के डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के रूप में बयाना राशि (ईएमडी) जमा करनी अपेक्षित है। असफल बोलीदाताओं की बयाना राशि संविदा पर अंतिम निर्णय ले लिए जाने के पश्चात् लौटा दी जाएगी। सफल बोलीदाता की बयाना राशि अपेक्षित मदों की आपूर्ति के बाद लौटा दी जाएगी। विक्रेता को मदों की आपूर्ति अच्छी हालत में करनी होगी।
5. जिस लिफाफे में दर-सूची भेजी जाएं वह मोहरबंद होना चाहिए और उस पर 'हैंड बैग/लैपटॉप बैग की आपूर्ति के लिए दर-सूची' लिखा होना चाहिए और उसे डाक द्वारा या दस्ती डाक से भेजी जानी चाहिए ताकि अधोहस्ताक्षरी के पास गुरुवार, 6 मार्च, 2014 को अपराह्न 3.00 बजे या उससे पहले पहुंच जाए।

6. बोलीदाता को मूल्य और वैट/कर, यदि कोई हो, को अलग-अलग दर्शाना चाहिए।
7. बोलियों को उसी दिन अर्थात् 6 मार्च, 2014 को अपराह्न 3.30 बजे उप सचिव (प्रशासन), संसदीय कार्य मंत्रालय, 92, संसद भवन, नई दिल्ली के कक्ष में खोला जाएगा। फर्मों के प्राधिकृत प्रतिनिधि जो कोटेशन खोलने के समय उपस्थित रहना चाहते हैं उन्हें पहचान का प्रमाण और फर्म के पत्र-शीर्ष पर प्राधिकार पत्र प्रस्तुत करने पर इसकी अनुमति होगी।
8. इस निविदा सूचना को संसदीय कार्य मंत्रालय की वैबसाइट <http://www.mpa.gov.in> और eprocure.gov.in (सीपीपी पोर्टल) से भी डाउनलोड किया जा सकता है।
9. संविदा/आपूर्ति आदेश के निष्पादन से कोई विवाद उत्पन्न होने पर मामला इस मंत्रालय के निदेशक को निर्दिष्ट किया जाएगा।
10. संविदा/आपूर्ति आदेश से उत्पन्न होने वाले किसी विवाद के न्यायिक निर्णयन के लिए केवल दिल्ली में स्थित न्यायालयों में विचार होगा।
11. किसी भी रूप में अपूर्ण बोलियां स्वीकृत नहीं की जाएंगी और उन्हें अस्वीकार किया जा सकता है।
12. संसदीय कार्य मंत्रालय के पास बिना कोई कारण बताए किसी एक बोली अथवा सभी बोलियों को पूर्णतः या आंशिक रूप में अस्वीकार करने या न्यूनतम बोलीदाता के साथ संविदा नहीं करने का अधिकार सुरक्षित है। इस संबंध में संसदीय कार्य मंत्रालय का निर्णय अंतिम और सभी के लिए बाध्यकारी होगा।

(रामेश्वर प्रसाद)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष नंबर: 23034899

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. सभी मंत्रालयों/विभागों को इस अनुरोध के साथ कि उनके द्वारा इस प्रयोजनार्थ नियोजित आपूर्तिकर्ताओं से, यदि वे इच्छुक हों, तो अपनी दरें प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाए।
2. तकनीकी निदेशक, एन आई सी, संसदीय कार्य मंत्रालय, संसद भवन, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि निविदा सूचना को मंत्रालय की वैबसाइट पर अपलोड किया जाए और दिनांक 10.3.2014 को अपराह्न 3.30 बजे अभिलेखागार में स्थानांतरित कर दिया जाए।